भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:3413

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हरियाणा में विशेष कैंसर वार्ड

†3413. कुमारी सैलजाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरियाणा में कैंसर रोगियों की संख्या और ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां ऐसे रोगियों के उपचार के लिए विशेष कैंसर वार्ड स्थापित किए गए हैं;
(ख) हरियाणा में प्रवेश करने वाली घग्गर नदी के प्रदूषित जल की कैंसर फैलाने में क्या भूमिका है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या केन्द्र सरकार बीपीएल परिवारों के कैंसर रोगियों को कोई विशेष सहायता प्रदान करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2019-2023) के दौरान हरियाणा में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:

2021-2023) – दोनों लिंग हरियाणा में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या					
वर्ष	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
हरियाणा में कैंसर के सभी मामलों की अनुमानित संख्या	1468	1536	1580	1630	1678

हिसार, करनाल, नूंह, सोनीपत और रोहतक ज़िलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर परिचर्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, भादसा, ज़िला झज्जर में भी व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत, उप-मंडलीय सिविल अस्पताल (एसडीसीएच), अंबाला छावनी में अटल कैंसर परिचर्या केंद्र (एसीसीसी) की स्थापना की गई है। यह कैंसर उपचार के लिए नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित है और न केवल हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों के जरूरतमंद मरीजों को व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) लागू किया जा रहा है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, 22 जिला एनसीडी क्लीनिक, 157 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक और पंचकूला, अंबाला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 5 जिला कैंसर परिचर्या केंद्र कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य के लिए 5 डे केयर कैंसर केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग): आईसीएमआर ने सूचित किया है कि कौर एट अल. द्वारा 2024 में भारतीय विज्ञान अकादमी में मानव स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन पर प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि नदी नालों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर रोग का खतरा बहुत अधिक होता है और जोखिम गुणांक न्यूनतम सीमा से ऊपर पाया गया है जो उच्च गैर-कैंसरजन्य जोखिम पैदा करता है। वर्तमान अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि सीसा, लौह और एल्युमीनियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (भारत) द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक थे।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत एक जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। संबंधित एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा पंजाब में 18 स्थानों और हरियाणा में 9 स्थानों पर घग्गर नदी की निगरानी की जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2023 के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में घग्गर नदी के जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2023 के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में सभी निगरानी स्थानों पर घग्गर नदी बाहरी स्नान के लिए अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप नहीं है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घग्गर नदी के पानी को पीने योग्य नहीं पाया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, घग्गर नदी के संरक्षण के लिए पंजाब के विभिन्न शहरों में 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता बनाई गई थी। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में शहरों से अपशिष्ट जल के शोधन के लिए,

कुल 291.7 एमएलडी क्षमता के 28 एसटीपी स्थापित किए गए हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि घग्गर कार्य योजना के तहत राज्य में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 588 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता बनाई गई है।

(घ): सरकारी संस्थानों में कैंसर का इलाज या तो मुफ्त है या सब्सिडी प्राप्त है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की समग्र योजना के स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष घटक के तहत गरीब रोगियों को उनके कैंसर के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का लक्ष्य मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रू. का स्वास्थ्य बीमा कवर-प्रदान करना है। योजना की शुरुआत से ही, कैंसर रोगों का उपचार लाभ पैकेज में शामिल है। कैंसर के सभी प्रकार के उपचार (मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

*****